उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपकम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या: 242–डीएस–अ0प्र0(2अ)/पाकालि/2018 दिनांक: 04 जुलाई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

विभागीय चयन समिति की संस्तुति के दृष्टिगत एतदद्वारा निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी को लेखाधिकारी के पद पर अस्थायी रूप से प्रोन्नत किया जाता है एवं कार्यहित में स्तम्भ सं0–3 में उल्लिखित कार्यालय/निगम से स्थानान्तरित कर स्तम्भ संख्या–04 में उल्लिखित निगम को आवण्टित किया जाता है। उक्त अधिकारी कार्यभार ग्रहण करने के दिनाँक से लेखाधिकारी के पद पर नियुक्त होंगे तथा 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे :–

क्रम सं0	नाम/सम्प्रेक्षा संख्या/ गृह जनपद/ सेवानिवृत्ति की तिथि	वर्तमान पद एवं तैनाती का कार्यालय/निगम	लेखाधिकारी के पद पर प्रोन्नति के पश्चात आवण्टित निगम
1	2	3	4
1.	श्री बैकुण्ठ नाथ पाण्डेय/बी–582/ मथुरा/31.07.2020	सहायक लेखाधिकारी, दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा	मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ

1. लेखाधिकारी के पद पर प्रोन्नत हो रहे सहायक लेखाधिकारी के वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम का नाम यथा उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार है। यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में आदेश में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिये मान्य होगा।
2. निगम को आवण्टित कार्मिक की तैनाती उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की वर्तमान स्थानान्तरण नीति के अनुरूप सम्बन्धित निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी ।
3. उपर्युक्त प्रोन्नत कार्मिक को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाय। ऐसे अधिकारी, जो सम्बन्धित कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं करेंगे, स्थानान्तरण नीति विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या 425–ज0श0 एवं प्र0सु0–1/पाकालि/2017–100(1)प्र0सु0/92 दिनांक 16.06.2017 के बिन्दु संख्या 10(i) में निहित व्यवस्थानुसार, उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी ।
4. नव तैनाती कार्यालय/निगम में कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में, स्थानान्तरण नीति विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या 425–ज0श0 एवं प्र0सु0–1/पाकालि/2017–100(1)प्र0सु0/92 दिनांक 16.06.2017 के बिन्दु संख्या 10(ii) में निहित व्यवस्थानुसार, उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी ।
5. उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनाँक 21–3–2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
6. नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित कार्मिक की कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0–5910–गोपन/पाकालि(06)–2001 दिनाँक 11–6–2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।
7. उपरोक्त आदेश निर्गमन की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक, जो भी बाद में हो, से प्रभावी होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

संख्याः 242-डीएस-अ0प्र0(2अ)/पाकालि/2018 तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मा0 ऊर्जा मंत्री जी/मा0 ऊर्जा राज्य मंत्री जी के निजी सचिव, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल/मध्यान्चल/पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केस्को लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव ।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रान्समिशन का0लि0।
6. समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
8. उप सचिव (गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार राय)

उप सचिव (2अ)